न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया
बेतिया नगर – 723/2020

दिनांक–14/06/2021

बेतिया नगर थाना कांड संख्या –723/2020 के अन्तर्गत दिनांक 07/04/2021 से काराबंदी अभियुक्त राविन्द्र कुमार शुक्ला उर्फ राविन्द्र कुमार की ओर से उनका जमानत आवेदन को आनलाईन/वर्चुअल मोड संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं । उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी ।

विद्वान जिला अभियोजन पदा0 श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक राकेश कुमार के लिखित आवेदन में वर्णित अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि माह मई 2017 में सूचक एवं सूचक की पत्नी को कम्पनी में रूपया लगाने के लिए राजी कर लिया और साफ–साफ कहा कि जितना भी रूपया लगेगा उस रूपया पर 24 माह के बाद 33 प्रतिशत का फायदा होगा । दिनांक 23/06/2017 से लगायत विभिन्न किस्तो में कुछ नगद एवं कुछ अपने खाता से मुदालह के खाता में स्थानांतरित कर कुल 30,57,340/– रूपया जमा कराया गया । इसमें से 1,50,000/– रूपया नगद विभिन्न किस्तों में वो 27,00,000/– रूपया के लिए मुदालहम एक कागज पर फाइनेन्स लिखकर दिनांक 24/10/2018 के लिए 9,00,000/– रूपया डा0 रंजीत एक शेयर तथा दिनांक 19/03/2019 को 18,00,000/– रूपया के लिए 9,00,000/– अशोक कुमार एवं डा0 संजीतक कुमार लिखा एवं नीचे हस्ताक्षर बनाया लेकिन तारीख नही लिया । चूँकि फिदवी विश्वास करता था । इसलिए कोई सवाल नही किया बाकी दिनांक 04/05/2019 को अपने खाता से 2,07,340/– रूपया दिया । इस तरह 3,57,340 रूपया के लिए कोई लिखित नही दिये । मुदालहम के पत्नी के जीवनकाल में ही 24 माह बीत जाने के बाद फायदा सहित रूपये की मांग करने पर लोग बार–बार वादा करते रहे । दिनांक 10/10/2019 को मुदालहम की पत्नी श्रीमति निलम शुक्ला द्वारा एक आवेदन दायर कर दिया गया । जिसमें कंण्डिका 6 में रूपया लेने की बात काबूल करती है । दिनांक 04/11/2019 को समय करीब 10:30 बजे मुदालह के घर गया जहॉ पर कुछ लोग पूर्व में बैठे थे । मुदई ने अपने रूपया का मॉग फायदा सहित किया तो अभियुक्त कहने लगा क्या सबूत है कि आप ने रूपया दिया है । सूचक को तरह–तरह की धमकी दिये तथा यह भी बोले कि स्थानीय विधायक मदन मोहन तिवारी के बहनोई है उनका कोई कुछ नही बिगाड सकता और कहा कि वे गोली से मारकर सूचक को हत्या कर देंगें ।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 406, 420, 468 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो अजमानतीय है । सूचक ने आवेदक अभियुक्त पर पैसे का धोखाधडी करने एवं मांगने पर जान से मारने की धमकी देना का आरोप लगाया है । आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 02/06/2021 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी